संख्या-1327/एक-10-2023-33(221)/2011

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 11/09/2023

विषयः- प्रदेश के समस्त मण्डल मुख्यालयों, जनपद मुख्यालयों एवं तहसीलों पर डिजिटल साईनज स्थापित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4498/रा०आ०का०/साइनेज बोर्ड पत्रा०/2023-24, दिनांक-30.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की 351 तहसीलों, 75 जिलाधिकारी कार्यालयों एवं 18 मण्डलायुक्त कार्यालयों में राहत आयुक्त कार्यालय में गठित क्रय समिति के माध्यम से प्रति यूनिट रू० 2.00 लाख की दर से 444 यूनिट डिजिटल साइनेज बोर्ड क्रय कर उक्तानुसार स्थापित किये जाने हेतु रू० 888.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2-- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक-06.09.2022 एवं 17.05.2023 में लिए गए निर्णयानुसार प्रदेश की 351 तहसीलों, 75 जिलाधिकारी कार्यालयों/मुख्यालयों एवं 18 मण्डलायुक्त कार्यालयों/मुख्यालयों पर जहां पब्लिक विजिविल्टी अधिक हो वहाँ प्रति यूनिट रू० 02.00 लाख की दर से निम्न तालिका में उल्लिखित स्पेशीफिकेशन के आधार पर डिजिटल साईनज क्रय कर स्थापित किये जाने हेतु **कुल रू० 8,88,00,000/- (आठ करोड़ अट्ठासी लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष-2023-24 में एस०डी०आर०एफ० मद-11 से निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ०प्र० के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-**

S.No	Item	Specifications
1	55" (inch) Professional Display with Inbuilt Signage player	• Diagonal Size 55" • Type: LED • Viewing Angle (II/V) : 178/178 • Operation Hour: 24x7 • Haze: 25% • Orientation: Landscape and Portrait • Speaker: 10Wx 2 • Connectivity: HDMIx3,USBx2,RS232C(in/out), RJ45,BT and WiFi, Audio Stereo mini Jack • Processor 1.7GHz Quad Core CPU or higher • Internal Storage : 16 GB

	• RAM: 2.5 GB • Media Player Inbuilt: OEM Inbuilt Signage Player with Content management software same OEM • Operating Temperature 0 °C ~ 40°C • Humidity 10.0 % ~ 80.0 % • Warranty 3 Years Onsite	
2	Professional Display Enclosure	Sealed, lockable and secure the digital signage enclosure to protect LCD display and content from vandalism, disruption and damage caused by harsh industrial environments.
3	Content Management software for the OEM with VPN	Content Management Software for the same OEM for Centralized Content uploading, Content Scheduling, Content Publication and monitoring and control with fully secure closed user network.

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबंधों</u>

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं०-33-02/2020-NDM-I , दिनांक-22.04.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
8. डिजिटल साईनज की खरीद ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा। ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
9. डिजिटल साईनज की खरीद एवं इन्स्टालेशन के सम्बन्ध में कार्यवाही राहत आयुक्त कार्यालय में गठित क्रय समिति के माध्यम से राज्य कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक-06.09.2022 में डिजिटल साईनज हेतु अनुमोदित स्पेशीफिकेशन के आधार पर किया जायेगा।
10. राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से इनके केन्द्रीयकृत संचालन के सम्बन्ध में उपर्युक्त फर्म का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये 8,88,00,000/- (आठ करोड़ अट्ठासी लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष-2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by राम केवल
Date: 11-09-2023 17:14:17
Reason: Approved
(राम केवल)
विशेष सचिव।

<u>संख्याः-1327(1)/एक-10-2023-33(221)/2011 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र०।
4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्रधिकरण, उ०प्र०।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
6- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
8- राहत आयुक्त कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-13/09/2023

प्रेषण संख्या:- 1327
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1327
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	88800000 126242680	88800000 126242680
	योग	वर्तमान प्रगामी	88800000 126242680	88800000 126242680

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ करोड़ अठासी लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बारह करोड़ बासठ लाख बयालीस हजार छः सौ अस्सी

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन